बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संख्या–1 / पि0व0–सू0अ0–15 / 2010–

प्रेषक,

मदन प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना–15 दिनांक–

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4 के कार्यान्वयन के संबंध में।**

प्रसंग :– आपका पत्रांक– 2965 / सा0प्र0 दिनांक– 24.02.2012

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4 में उल्लिखित 17 मैनुअल्स विभागीय बेबसाइट पर Upload कर दिया गया है । साथ ही इसकी एक प्रति सूचनार्थ संलग्न की जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0 / –

(मदन प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक1 / पि0व0–सू0अ0–15 / 2010– 685 पटना, दिनांक– 13-4-12

प्रतिलिपिः– श्री अजय कुमार शर्मा, कम्प्यूटर ऑपरेटर को सूचनार्थ। उन्हें निदेश दिया जाता है कि संलग्न पत्र / सी0डी को विभागीय बेबसाईट पर अविलम्ब Upload करने की कार्रवाई करें।

13.04.12

सरकार के अवर सचिव।

विभागीय लोक सूचना कोषांग

1	लोक सूचना पदाधिकारी	श्री मदन प्रसाद, अवर सचिव
2	सहायक लोक सूचना पदाधिकारी	श्री शालीग्राम प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी
3	सूचना कोषांग दूरभाष संख्या :–	0612 – 2215037

Sec-4 (c) (ख)

1, 2– पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विशिष्टियों, कृत्य और कर्तव्य मुख्य रूप से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू विभाग के कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करना है। इसके अतिरिक्त संबंधित वर्ग के सभी छात्र/छात्राओं को नियमानुसार छात्रवृति उपलब्ध कराना एवं विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों का संचालन कार्य/विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत नियमों/विनियमों एवं परिपत्रों के आलोक में दायित्वों का निर्वहन होता है।

3– विभाग का क्षेत्रीय स्थापना नही है अतएव तत्काल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उत्तरदायित्व एवं निर्वहन का पर्यवेक्षण जिला एवं प्रमंडल स्तर के उच्च अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत किया जाता है। शीर्ष पर पर्यवेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है।

4– कृत्यों के निर्वहन का मापमान विभागीय नियम एवं परिपत्र है।

5– विभाग का स्वतंत्र रूप से गठन 2007 में हुआ है अतएव विभागीय अद्यतन Compendium बनाने योग्य अभिलेख नहीं है।

6– विभाग में 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय से संधारण संबंधी अभिलेख नियंत्रणाधीन है।

7, 8– सरकार द्वारा निर्धारित नीतियॉं विभाग से संबंधित वर्गो के कल्याण हेतु विधिवत निर्धारित की जाती है। वर्तमान में बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कार्यरत है। इसके अतिरिक्त अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास हेतु बिहार राज्य अत्यन्त पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का गठन प्रक्रियाधीन है।

सामान्य प्रशासन विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग एवं बिहार राज्य अत्यन्त पिछड़ा वर्ग आयोग पूर्व से ही कार्यरत है।

9– विभाग में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यो के संचालन हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किया गया है।

10– अधिकारियों/कर्मचारियों का मासिक वेतनादि एवं बजट संबंधी डाटा विभागीय बेबसाईट http://bcebcwelfare.bih.nic.in पर Upload करने की कार्रवाई की जा रही है।

11– विभाग का बजट प्रबंधन हेतु प्रशाखा–2 का गठन किया गया है। जो मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्थापना यथा– छात्रवृति/छात्रावास/आवासीय विद्यालय/मेधावृति आदि संधारण किया गया है।

12– सांख्यिकी कार्यक्रमों के निष्पादन के रीति संबंधी सूचना विभागीय बेबसाईट http://bcebcwelfare.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

13– लोक सूचना पदाधिकारी का नाम श्री मदन प्रसाद, पदनाम अवर सचिव है। सहायक लोक सूचना पदाधिकारी का नाम श्री शालीग्राम प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी है। सूचना कोषांग का दूरभाष संख्या– 0612–2215037 है।

14– विभागीय बेबसाईट पर अद्यतन Upload करनें का कार्य समय–समय पर किया जायेगा।

15– सूचना अभिप्राप्ति करने के लिए सामान्य नागरिकों को निबंधित डाक एवं दूरभाष द्वारा सूचना देने का प्रावधान किया गया है। सहायक लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा व्यक्तिगत तौर पर सूचना उपलब्ध कराने में तत्परतापूर्वक कार्रवाई की जाती है।

16– लोक सूचना पदाधिकारी का नाम श्री मदन प्रसाद, पदनाम अवर सचिव है जिनका दूरभाष संख्या– 0612–2215037 है।

17– विभागीय बेबसाईट पर अद्यतन Upload करनें का कार्य समय–समय पर किया जायेगा।